International Journal of Enhanced Research in Educational Development
ISSN: 2320-8708, Vol. 3 Issue 4, July-August, 2015

कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण का कृषक मजदूरों पर प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

युद्धवीर
असिस्टैंट प्रोफेसर (अतिथि लेक्चरर), लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

सार–संक्षेप

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। भारत में कुल भूमि का 52 प्रतिशत हिस्सा कृषि योग्य है। लेकिन अब भी भारत में केवल 40 प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई युक्त है व 60 प्रतिशत भाग पर सिचांई के साधन नहीं है। आरम्भ में कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित थी। कृषि के परम्परागत साधन थे, समस्त कृषि की जुताई बैलों व हल द्वारा होती थी। उर्वरकों की कमी थी, कीटनाशक दवाइयाँ नहीं थी और न ही उन्नत किस्म के बीज थे। अतः कृषि कार्य में अधिक लोगों की आवश्यकता होती थी। उत्पादन बाजार के लिए न होकर केवल अपने उपभोग के लिए होता था तथा जजमानी प्रथा का प्रचलन था। सभी प्रकार के कार्य करने वाली जातियों के व्यक्ति किसान पर निर्भर थे। प्रत्येक किसान का अपना एक निश्चित सेवा प्रदान करने वाला होता था तथा प्रत्येक जाति का अपना एक जजमान होता था। जिससे वे अपनी सेवाएं प्रदान करते थे तथा बदले में अनाज आदि प्राप्त करते थे। परन्तु मशीनीकरण के आगमन (1960) से जजमानी प्रथा कमजोर हो गई। क्योंकि कृषि का कार्य यन्त्रों से होने लगा जिससे कृषि में अन्य लोगों की सहायता की आवश्यकता कम होती थी व नकद वेतन की मांग में बढ़ोतरी हुई। जिससे किसान व मजदूरों के सम्बन्धों में तेजी से बदलाव आया।

मुख्य शब्द : कृषि क्षेत्र, मशीनीकरण, हरित क्रान्ति, कृषक मजदूर, जजमानी प्रथा ।

भूमिका

भारत एक कृषि प्रधान देश है। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का अंशदान लगभग 22 प्रतिशत तथा कुल निर्यात में 15.2 प्रतिशत है। जहाँ विश्व में औसतन 11 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। वहीं भारत में कुल भूमि का 52 प्रतिशत हिस्सा कृषि योग्य है। विविधता की दृष्टि में भारत बेजोड़ है, तथा विश्व की सभी 15 जलवायु यहाँ विद्यमान हैं। विश्व में पाई जाने वाली 60 प्रकार की मृदायों में से लगभग 46 प्रकार की मृदा भारत में मौजूद हैं। कृषि का प्रारम्भ सबसे पहले कब और कहां से हुआ इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, पाषाण काल से सम्बन्धित प्रमाण से ज्ञात होता है कि मानव उस युग में खेतो को जोतने और फैसलें पैदा करने के लिए पत्थर तथा लकड़ी के औजारों का प्रयोग करता था। इस काल में धीरे–धीरे कृषि का विकास होने लगा।

विकास के चरण

(क) अधिकाधिक मानव उपयोगी पौधों (जैसे – गेहूं, जौं, कपास, ज्वार–बाजरा, विभिन्न चावल, गन्ना आदि) की खेती प्रारम्भिक विधियों की खोज हुई।
(ख) खेती के लिए भूमि को जोतने, खेत तैयार करने तथा भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद का प्रयोग।
(ग) धातुकर्म का विकास, लोहे के हल तथा लकड़ी के पहिए, कुल्हाड़ी, हंसिया के निर्माण के साथ श्रम विभाजन और स्थाई बस्तियों का निमार्ण आदि ही उनके कार्य थे।

आरम्भ में किसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन करता था, न कि बाजार के लिए, जो कुछ भी वह उत्पादन करता था, वह स्वयं उसका उपभोग कर लेता था तथा शेष अनाज दूसरों में बांट देता था व अनाज के बदले वह अन्य लोगों से अपनी आवश्यकता की चीजें खरीद लेता था तथा वस्तुओं में भी आदान–प्रदान होता था। जिस प्रकार खाती हल का कार्य करता था, लोहार लोहे के यन्त्र बनाता था, जुलाहा किसान के लिए बुनता था तथा ये सब अपनी सेवा के बदले किसान से अनाज प्राप्त करते थे। जिसके कारण ये एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे तथा एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चलता था। दोनों मिलकर अपनी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का भुगदान ही जजमानी प्रथा कहलाता था। प्रत्येक परिवार का अपना एक जजमान होता था, जिससे वह अपनी सेवा के बदले अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करता था। कृषि के कार्यों में अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते थे।

भूमि सम्बन्ध तथा उनका कार्य

समाज में सभी वर्णों को बनाने वाला भगवान नहीं है अपितु समाज है, वर्ण व्यवस्था का प्रमुख आधार भूमि सम्बन्ध था, अर्थात् समाज में जो लोग भूमि से सम्बन्धित थे, वे व्यक्ति ही समाज में सम्बन्धों का निर्धारण करते थे। अन्य लोगों की संस्कृति का भी निर्धारण करते थे। दासों का या भूदासों का, श्रमिकों का समाज में अपना कोई स्थान नहीं था। वे तो केवल अपने मालिक (बड़े जमींदार) के लिए कार्य करते थे तथा जो कुछ भी उत्पादन उत्पन्न होता था, उसको वे कर (जंग) के रूप में अपने मालिक को दे देते थे। श्रमिक अथवा दास अपना जीवन ही अपने मालिक की सेवा के लिए मानते थे। (देसाई; 1969)

कृषि के क्षेत्र में हरित क्रान्ति का आगमन

जैसा कि पहले कहा है कि कृषि में 34 विकासीय परिवर्तन हुए हैं। इसी प्रकार भारतीय कृषि में मूलभूत परिवर्तन हरित क्रान्ति के समय में होना प्रारम्भ हुआ। 1960 के दशक में परम्परागत भारतीय फसलों (ज्वार, बाजरा, मक्का, दालों) आदि के स्थान पर गेहूं, धान जैसी चुनिंदा फसलों की आयातित संकर किस्मों को रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा विपणन सुविधाएं और सुरक्षित भण्डारण प्रणाली को अपनाया गया। उसे ही हरित क्रान्ति की संज्ञा दी गई। हरित क्रान्ति से पहले कृषि वर्षा पर आधारित थी व तकनीकी यन्त्र का अभाव था।

खेती में मशीनीकरण

कृषि या खेती की प्रक्रिया में मशीनीकरण का अर्थ जमीन पर उन कार्यों के लिए मशीन के इस्तेमाल से है जो परम्परागत खेती में बैलों, घोड़ों और दूसरे भारवाही पशुओं या मनुष्यों के श्रम द्वारा सम्पन्न किए जाते थे। मशीनीकरण आंशिक व पूर्ण दोनों ही तरह का हो सकता है। जब खेती में पुराने औजारों के साथ–साथ कुछ आधुनिक मशीनों का भी प्रयोग होने लगता है तो मनुष्य के श्रम की आवश्यकता कम रह जाती है, इस स्थिति में मशीनीकरण पूरा होता है। भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ पूंजी की कमी है और श्रम की प्रचुरता है, केवल आंशिक मशीनीकरण ही हो सकता है। क्योंकि भारत में भूमि पर जनसंख्या का अत्याधिक दबाव है, कृषि जोतों का आकार छोटा है। आम किसान निर्धन है, उसके पास मशीनें खरीदने के लिए प्रयाप्त पूंजी नहीं है। इसलिए व्यापक मशीनीकरण असंभव है। (मिश्र एवं पुरी, 2005)

खेती में मशीनीकरण के लाभ निम्न हैं–

1. मशीनीकरण और उत्पादन में वृद्धि हुई।
2. श्रम की उत्पादकता में वृद्धि।
3. मशीनीकरण और लागत में कमी।
4. खेतों पर आय में वृद्धि और परम्परागत कृषि को बदलना।
5. आर्थिक अधिशेष में वृद्धि। कुल उत्पादन के ऊपर बेशी मात्रा को वास्तविक आर्थिक अधिशेष कहते हैं।

जैसे–जैसे तकनीक में परिवर्तन आता है, अर्थात् उन्नति होती है, तो अनेक प्रकार का श्रम विभाजन हो जाता है। (देसाई, 1969)

कृषि में मशीनीकरण का खेतिहर मजदूरों पर प्रभाव

खेतिहर मजदूर की परिभाषा –

प्रथम खेतिहर मजदूर जांच समिति 1950–51 के अनुसार खेतिहर मजदूर वे लोग हैं, जो कृषि में मजदूरी के बदले 50 प्रतिशत या ज्यादा दिनों काम करता है, खेतिहर मजदूर माना जाएगा। खेतिहर मजदूर परिवार से अभिप्राय : किसी परिवार के मुखिया या 50 प्रतिशत या उससे अधिक रोजी कमाने वाले सदस्यों का मुख्य व्यवसाय यदि खेतिहर मजदूर का है।

खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि के कारण

1. जनसंख्या में वृद्धि
2. कुटीर उद्योगों और दस्तकारियों का पतन।
3. छोटे किसानों और काश्तकारों का भूमि से वंचित होना।
4. अनार्थिक जोतें।
5. ऋणग्रस्ता में वृद्धि।
6. मुद्रा और विनिमय प्रणाली का विस्तार।

7. पूंजीवादी कृषि।

पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूंजीवादी खेती का विकास हुआ है। आगे आने वाले वर्षों में इस बात की सम्भावना है कि अन्य क्षेत्रों में पूंजीवादी कृषि से बहुत सारे काश्तकार भूमि से वंचित हो जाएं। (मिश्र एवं पुरी, 2005) किसी खेतीहर समुदाय में भूमि की बढ़ती हुई दुर्लभता से सामाजिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। इसके मुख्य दो कारण हैं, पहला यदि भूमि अभाव की मात्रा में परिवर्तन विपरीत रूप से कृषि उत्पादन की संवृद्धि से संबद्ध होते हैं तथा दूसरा यदि कृषि से बाहर आय के उपार्जन के अवसर इस प्रकार काफी तेजी से नहीं बढ़ते हैं। जैसे–जैसे तकनीक उच्च होगी, वैसे–वैसे लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होगा। (देसाई, 1969) विभिन्न जातियों में जो जजमानी प्रथा थी, इन सभी जातियों के लोगों ने अपने व्यवसाय को बदल लिया है अब वे केवल कृषि पर निर्भर नहीं है तथा वे नकद मजदूरी की मांग करते हैं। (अहलावत, 1988)

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. उत्तरदाताओं की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि को जानना।
2. कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण (हरित क्रान्ति) का कृषक मजदूरों पर प्रभावों का पता लगाना।
3. हरित क्रान्ति का जमींदार व कृषक मजूदरों के आपसी सम्बन्धों पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत अनुसंधान के लिए गाँव आसण्डा को चुना गया है जोकि झज्जर जिले में तथा सांपला के नजदीक है। गाँव की जनसंख्या 3500 के लगभग है व मतदाताओं की संख्या 2000 के लगभग है। अगर हम गाँव या अनुसंधान क्षेत्र में जाति की बात करते हैं, तो इस गाँव में नौ (9) जातियों के लोग रहते हैं। सभी जातियों में जाट जाति के लोग ज्यादा हैं।

गाँव की जातियाँ निम्न हैं–

1. उच्च जाति में मुख्यतः जाट व ब्राह्मण हैं।
2. पिछड़ी जाति में मुख्यतः कुम्हार, खाती, नाई, लुहार हैं।
3. अनुसूचित जाति में मुख्यतः चमार, धानक व बाल्मिक हैं।

यहाँ के मकान लगभग पक्के हैं। लेकिन आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से लोगों का स्तर तुलनात्मक है। गाँव के कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं और कुछ कृषि व मजदूरी आदि कार्यों में सलंग्न हैं।

आंकड़ों के संकलन की पद्धतियाँ

कृषि में मशीनीकरण के कृषक मजूदर पर प्रभाव के बारे में आंकड़े इक्कठे करने के लिए अनुसूची विधि का प्रयोग किया है। उतदाताओं का चुनाव दैव निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया, व प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया। इस विधि मे अनुसंधानकर्ता ने कृषि में 'मशीनीकरण' का कृषक मजदूरों पर प्रभाव के आधार पर डाटा तैयार किया।

आंकड़ों का विश्लेषण

अनुसंधान क्षेत्र गाँव आसण्डा के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण ''कृषि में मशीनीकरण का कृषक मजदूरों पर पड़ने वाले प्रभाव'' के आधार पर किया गया है, इस अनुसंधान में कुल 28 सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क किया गया, जिनमें 20 सूचनादाता जमींदार थे अर्थात् जिनके पास कृषि योग्य भूमि थी व जो कृषि यन्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं तथा 8 सूचनादाता भूमिहीन थे, जो कृषि पर मजूदरी का कार्य करते थे। इन सभी सूचनादाताओं का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर उनसे प्राप्त आंकड़ों का लिंग, जाति, आयु, परिवार का आकार, शिक्षा, कार्यों के दिनों, कृषि–यन्त्रों के प्रयोगों आदि के आधार पर आकंड़ों का विश्लेष्ण करने का प्रयास किया गया है।

तालिका–1 लिंग के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण

क्र.सं.	लिंग के आधार पर	जमींदार		भूमिहीन	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	पुरुष	19	(95%)	7	(88%)
2.	स्त्री	1	(5%)	1	(12%)
	कुल	20	(100%)	8	(100%)

तालिका – 1 के आधार पर कुल 28 उतरदाताओं का साक्षात्कार किया गया। जिसमें 20 उतरदाता जमींदार थे व 8 उतरदाता भूमिहीन थे। जमींदारों में साक्षात्कारों की संख्या के आधार पर पुरुषों की संख्या 95: थी व 5: महिलाएं थी तथा भूमिहीनों के आधार पर 88 प्रतिशत पुरुष व 12 प्रतिशत महिलाओं से साक्षात्कार किया गया।

तालिका–2 शिक्षा स्तर के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण

क्र.सं.	शिक्षा का स्तर	जमींदार		भूमिहीन	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	अनपढ़	3	(15%)	3	(38%)
2.	लिखना व पढ़ना	1	(5%)	–	(0%)
3.	पाँचवी तक	–	(0%)	1	(12%)
4.	आठवीं तक	2	(10%)	2	(25%)
5.	दसवीं तक	10	(50%)	2	(25%)
6.	बारहवीं तक	2	(10%)	–	(0%)
7.	स्नातक	2	(10%)	–	(0%)
	कुल	20	(100%)	8	(100%)

तालिका – 2 में प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से ज्ञात होता है कि जमींदारों में शिक्षा का स्तर भूमिहीनों की अपेक्षा ज्यादा है। प्राप्त आंकड़ों में जमींदारों की संख्या 20 है जिसमें से 15 प्रतिशत अनपढ़ हैं तथा आठवीं तक 10 प्रतिशत, दसवीं तक 50 प्रतिशत व स्नातक स्तर पर 10 प्रतिशत हैं। इसके विपरित भूमिहीनों की कुल संख्या 8 थी, जिसमें 38 प्रतिशत अनपढ़, पाँचवीं तक 12 प्रतिशत व दसवीं तक मात्र 25 प्रतिशत ही है।

तालिका–3 उतरदाताओं की आयु के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण

क्र.सं.	आयु (वर्षों में)	जमींदार		भूमिहीन	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	16–30	3	(15%)	3	(38%)
2.	31–45	6	(30%)	–	(0%)
3.	46–60	3	(15%)	1	(12%)
4.	60 से ज्यादा	8	(40%)	4	(50%)
	कुल	20	(100%)	8	(100%)

तालिका – 3 के अनुसार कुल उतरदाताओं की संख्या 28 है, जिनमें 20 उतरदाता जमींदार हैं व 8 उतरदाता भूमिहीन थे। जमींदारों में साक्षात्कार के अनुसार 15 प्रतिशत 16–30 वर्ष की आयु तक के थे तथा 31–45 वर्ष तक की आयु का प्रतिशत 30 था। 46–60 वर्ष की आयु तक 15 प्रतिशत व 60 वर्ष से ज्यादा उतरदाताओं का 40 प्रतिशत था। इसके विपरित भूमिहीनों में 38 प्रतिशत उतरदाता 16–30 वर्ष तक की आयु के थे व 46–60 तक का 12 प्रतिशत तथा 60 वर्ष से अधिक उतरदाताओं का भाग 50 प्रतिशत था।

तालिका–4 वैवाहिक स्थिति के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण

क्र.सं.	वैवाहिक स्थिति	जमींदार		भूमिहीन	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	विवाहित	19	(95%)	6	(75%)
2.	अविवाहित	1	(5%)	2	(25%)
	कुल	20	(100%)	8	(100%)

तालिका – 4 के अनुसार कुल 28 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया। जिनमें 20 उतरदाता जमींदार थे व 8 उतरदाता भूमिहीन थे। जमींदारों में विवाहितों की संख्या 19 (95 प्रतिशत) थी तथा एक उतरदाता अविवाहित (5 प्रतिशत) था। भूमिहीनों में 75 प्रतिशत

विवाहित व 25 प्रतिशत अविवाहित थे।

तालिका–5 संयुक्त व एकल परिवारों के आधार पर वर्गीकरण

क्र.सं.	परिवारों का आकार	जमींदार		भूमिहीन	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	संयुक्त परिवार	15	(75%)	–	(0%)
2.	एकल परिवार	5	(25%)	8	(100%)
	कुल	20	(100%)	8	(100%)

तालिका – 5 के आधार पर कुल 28 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जिनमे जमींदारों की संख्या 20 तथा भूमिहीनों की 8 थी। जमींदारों में संयुक्त परिवारों का प्रतिशत 75 है तथा एकल परिवारों का प्रतिशत 25 है। इसके विपरित भूमिहीनों में संयुक्त परिवारों का प्रतिशत शून्य है व एकल परिवारों का प्रतिशत 100 है। अतः जमींदरों में भूमिहीनों की अपेक्षा संयुक्त परिवार अधिक पाए जाते हैं।

तालिका–6 जाति के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण

क्र.सं.	जाति	जमींदार		भूमिहीन	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	उच्च जाति	16	(80%)	–	(0%)
2.	पिछड़ी जाति	4	(20%)	3	(38%)
3.	अनुसूचित जाति	–	-	5	(62%)
	कुल	20	(100%)	8	(100%)

तालिका – 6 के अनुसार कुल 28 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया। जिनमें 20 उतरदाता जमींदार व 8 उतरदाता भूमिहीन थे। जिनमें उच्च जातियों में जमींदारों का प्रतिशत 80 प्रतिशत है तथा मात्र 20 प्रतिशत जमीन पिछड़ी जातियों के पास है तथा भूमिहीनों में पिछड़ी जातियों का प्रतिशत 38 है व 62 प्रतिशत अनुसूचित जातियों का है, जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं थी।

तालिका–7 मुख्य व्यवसाय के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण

क्र.सं.	व्यवसाय के आधार पर	जमींदार		भूमिहीन	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	खेती	8	(40%)	–	(0%)
2.	मजदूरी	2	(10%)	5	(63%)
3.	दुकानदार	1	(5%)	1	(12%)
4.	नौकरी	4	(20%)	–	(0%)
5.	अन्य	5	(25%)	2	(25%)
	कुल	20	(100%)	8	(100%)

तालिका – 7 में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज भी भूमिहीनों का ज्यादा प्रतिशत कृषि पर ही आश्रित है। जमींदारों में 40 प्रतिशत उतरदाता खेती करते हैं व 10 प्रतिशत मजदूरी, 5 प्रतिशत दुकानदार, 20 प्रतिशत सरकारी नौकरी में व अन्य व्यवसायों का प्रतिशत 25 है। भूमिहीनों में 63 प्रतिशत व्यक्ति खेती पर मजदूरी करते हैं व 12 प्रतिशत दुकानदार तथा 25 प्रतिशत व्यक्ति अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं।

तालिका–8 जमीन की संख्या के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण

क्र.सं.	जमीन की संख्या (एकड़ में)	जमींदार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	0–3	11	(55%)
2.	3.1–7	6	(30%)
3.	7.1–11	2	(10%)
4.	11.1 से ज्यादा	1	(5%)
	कुल	20	(100%)

तालिका – 8 के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल 20 उतरदाताओ का साक्षात्कार किया गया। जिनमें से 0–3 एकड़ तक भूमि का प्रतिशत 55 है। 3.1–7 एकड़ का प्रतिशत 30 है। 7.1–11 एकड़ का प्रतिशत 10 है। 11.1 से ज्यादा एकड़ का प्रतिशत 5 है। अतः 0–3 प्रति एकड़ वाले जमींदारों की संख्या अधिक है। वहीं 8 अन्य उतरदाता भूमिहीन थे जिनके पास कोई भी कृषि योग्य भूमि नहीं थी।

तालिका–9 कृषि यन्त्रों की उपलब्धता के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण

क्र.सं.	कृषि यन्त्रों की उपलब्धता	जमींदार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	स्वयं के	7	(35%)
2.	पड़ोसी से लेकर	10	(50%)
3.	सम्बन्धियों द्वारा	3	(15%)
	कुल	20	(100%)

तालिका – 9 के आधार पर प्राप्त आंकड़ों में कुल 20 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया गया। जिनमें 35 प्रतिशत जमींदार स्वयं अपने कृषि यन्त्रों से कृषि कार्य करते हैं तथा 50 प्रतिशत पड़ोसी से यन्त्रों को मांगकर कृषि कार्य करते हैं व 15 प्रतिशत अपने सगे–सम्बन्धियों की सहायता से कृषि कार्य करते हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि छोटे किसानों के पास स्वयं के कृषि यन्त्रों का अभाव है।

तालिका–10 भूमिहीन उतरदाताओं के वेतन के प्रकार के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण

क्र.सं.	वेतन प्राप्ति	भूमिहीन उतरदाता	
		संख्या	प्रतिशत
1.	नकद	2	(25%)
2.	नकद व अनाज के रूप में	3	(38%)
3.	अनाज के रूप में	3	(37%)
	कुल	8	(100%)

तालिका – 10 के आधार पर प्राप्त आंकड़ों में 8 खेतिहर मजदूरों से साक्षात्कार किया गया जिसमें 25 प्रतिशत मजदूर नकद वेतन प्राप्ति के हक में है व 37 प्रतिशत अनाज को वेतन के रूप में आवश्यक मानते हैं व 38 प्रतिशत उतरदाता नकद व अनाज को मजदूरी के रूप में सही मानते हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि ग्रामीण कृषक समाज में मजदूर नकद वेतन की मांग करने लगे हैं जिससे जजमानी सम्बन्ध धीरे–धीरे कमजोर होते जा रहे हैं।

तालिका–11 भूमिहीन उतरदाताओं के रोजगार प्राप्ति के दिनों के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण

क्र.सं.	रोजगार प्राप्ति के दिन	भूमिहीन उतरदाता	
		संख्या	प्रतिशत
1.	0–50	2	(25%)
2.	51–100	1	(13%)
3.	101–150	4	(50%)
4.	151–200	1	(12%)
	कुल	8	(100%)

तालिका – 11 के आधार पर कुल 8 खेतिहर मजदूरों से साक्षात्कार किया गया। जिनमें से 0–50 दिन तक रोजगार प्राप्त करने वाले उतरदाताओं की संख्या 25 प्रतिशत है। 51–100 दिनों तक रोजगार का प्रतिशत 13 है। 101–150 दिनों तक रोजगार का प्रतिशत 50 है व 151–200 दिनों तक रोजगार प्राप्ति का प्रतिशत 12 है।

उपरोक्त से पता चलता है कि 101–150 दिनों तक रोजगार पाने वाले मजदूरों का प्रतिशत अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कोई भी मजदूर कृषि में वार्षिक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। वहीं हरित क्रान्ति के प्रभाव के कारण नई प्रोद्योगिकियों ने अत्याधिक श्रम विभाजन किया है जिसके कारण वर्तमान भूमिहीन कृषि कार्यों के अतिरिक्त गैर कृषि कार्यों में भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

निष्कर्ष

अनुसंधान क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण आने से खेतिहर मजदूरों पर अत्याधिक प्रभाव पड़ा है। कृषि में मशीनीकरण के कारण जजमानी प्रथा का पतन हो रहा है तथा हरित क्रान्ति (1960) के आगमन पर अधिकतर कृषि कार्य यन्त्रों से होने लगे। प्राप्त आंकड़ों में किसी भी मजदूर को वर्ष (साल) के 365 दिन काम नहीं मिलता। केवल कुछ मौसमी फसलों में ही काम मिलता है तथा धीरे–धीरे नकद मजदूरी की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा जोत वाली जमीनों का कम हो जाना व छोटे किसानों द्वारा उत्पादन लागत अधिक होने से भी कृषक मजदूरों के रोजगार पर प्रभाव पड़ा है। जमींदारों के साक्षात्कार से यह ज्ञात होता है कि पहले की अपेक्षा कृषक मजदूरों के कार्यों में वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले कृषि वर्षा पर आधारित थी, लेकिन सिंचाई की सुविधा के बाद अनेक फसलें वर्ष में होने लगी, जोकि हरितक्रान्ति से पहले एक वर्ष में केवल एक या दो ही फसलें होती थी। बड़े जमींदार ही कृषक मजदूरों से ज्यादा काम लेते हैं। खेतीहर मजदूरों का कृषि में स्प्रे (कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव) व निराई के लिए, गेहूं या अन्य फसलों को निकालने (कटाई) आदि कार्यों में योगदान अधिक है। इसके विपरित कृषक मजदूरी में महिलाओं से भी कृषि में कार्य लिया जाता है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कोई भी जमींदार किसी भी मजदूर से काम प्राप्त कर लेता है। अब जमींदारों व मजदूरों में वह प्रेम की भावना अर्थात् एक दूसरे की सहायता करने की नहीं है अपितु इनके बीच व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित हो रहे हैं।

खेतिहर मजूदरों की समस्याओं के समाधान के सुझाव निम्न है–

1. खेतिहर मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें भूमि देने की आवश्यकता है। ऐसा भूमि पर उच्चतम सीमा निर्धारित करके अतिरिक्त जमीन का वितरण खेतिहर मजदूरों के पक्ष में करने से हो सकता है।
2. वैधानिक व्यवस्था को लागू करना – खेतिहर मजदूरों को सुरक्षा देने वाले कानूनों को तत्परता के साथ लागू किया जाए। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए।
3. खेतिहर मजदूरों को संगठित किया जाए, ताकि वे न्यायोचित मजदूरी के साथ–साथ मानवीय कामकाज की दशाओं को हासिल करने में सफल हो।
4. उनके काम के घण्टें निर्धारित किए जाने चाहिए, किसी भी दिन निर्धारित समय से ज्यादा काम करने पर अतिरिक्त मजदूरी की व्यवस्था हो।
5. वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, यदि उन्हें उर्जा, वित्त, प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं दी जाएं तो खेतिहर मजदूरों की कृषि पर निर्भरता कम होगी व आय बढ़ेगी।

सन्दर्भ सूची

1. देसाई, ए.आर. (1986), ''स्वतन्त्रता के बाद भारत में कृषक संघर्ष'', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, मुम्बई
2. देसाई, ए.आर. (2005), ''ग्रामीण भारत में परिवर्तन'', पापुलर प्रकाशन, बम्बई
3. देसाई, ए.आर. (1969), भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र'', पापुलर प्रकाशन, बम्बई
4. मिश्र, एस.के. एवं पुरी, वी.के. (2005), ''भारतीय अर्थव्यवस्था'', हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, हैदराबाद–500027
5. अहलावत, एस.आर. (1988), ''हरित क्रान्ति और कृषक मजदूर'', दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली–110027
6. दासगुप्ता, बिपलैप (1977), ''भारत की हरित क्रान्ति'', इक्नोमिक एण्ड पॉलिटिक्ल वीकली, वॉल्यम नं. 12
7. जोधका, सुरेन्द्र सिंह (2014), ''आकस्मिक ग्रामीणता : ग्रामीण जीवन की समीक्षा और हरियाणा में कृषि बदलाव, इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिक्ल वीकली, वॉल्यूम ग्स्प्ए नं. 26
8. अहलावत, एस.आर. (2003), ''कृषि संकट का समाजशास्त्र : किसान आत्महत्या की उभरती चुनौती'', मैन एण्ड डवलैपमेंट, वॉल्यूम नं. 25(3)
9. थ्रोनर, डेनियल (1956), ''भारत में कृषि की संभावनाएँ'', यूनिवर्सिटी प्रैस फोर दिल्ली स्कूल ऑफ इक्नोमिक्स, नई दिल्ली।
10. अहलावत, एस.आर. (2008), ''आर्थिक सुधार और सामाजिक बदलाव'', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, राजस्थान।